

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14()2015/बारां रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं/ 1780 दिनांक 14-7-2020

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Higlote to Madnakheri in Rajasthan in Baran Forest Division.
(प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, कोटा का पत्रांक 3195 दिनांक 06.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार की EDS दिनांक 08.05.2020 की पालना में मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा 2.27 है० गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की संशोधित योजना वर्तमान श्रमिक दर (1,64,100/-) पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों के अनुसार चाही गयी सूचना उप वन संरक्षक, बारां ने प्रस्ताव में ऑनलाईन अपलोड कर अपने पत्रांक 6311 दिनांक 02.07.2020 से हार्ड कॉपी इस कार्यालय को प्रेषित की हैं। जिसकी प्रतियां इस कार्यालय की सहमति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14()2015/बारां रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांक
प्रतिलिपि:-अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर 'एच' अलीगंज लखनऊ-226024 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(पी. सी. कुमावत)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/3195 दिनांक : 6 न 2020
 निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
 राजस्थान जयपुर।

विषय:- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Higlto to
 Madnakheri in Rajasthan in Baran Forest Division.
 (Proposal No. FP/RJ/Road/10911/2015)
 प्रसंग:- ई0डी0एस0 दिनांक 10.06.2020 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक ई0डी0एस0 दिनांक 10.06.2020 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्र संख्या 8वीं/राज0/06/35/2015/एफ.सी./629 दिनांक 08.05.2020 से गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित योजना वर्तमान दर पर (वन संरक्षण) अधिनियम के दिशानिर्देशों के अनुरूप चाही गयी सूचना उप वन संरक्षक बारां ने प्रस्ताव में ऑनलाईन अपलोड कर अपने पत्र संख्या एफ () एफसीए/उवसं/2020-21/6311 दिनांक 02.07.2020 से हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रेषित की है। जिसकी प्रतियाँ अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
 संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आनन्द मोहन)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
 कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/

दिनांक :

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक बारां को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
 कोटा

